

दिनांक 12.08.2022 को आयोजित हिन्दी कार्यशाला की एक प्रस्तुति

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण में 12 अगस्त, 2022 को सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम श्री यशवंत कुमार जैन, अवर सचिव (वित्त/राजभाषा) द्वारा हिंदी कार्यशाला में उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का अभिनंदन किया गया। उन्होंने हिंदी कार्यशाला में अतिथि वक्ता श्री विश्वकर्मा जी का संक्षिप्त परिचय दिया।

श्री विश्वकर्मा जी लंबे समय से राजभाषा हिन्दी कार्यों से जुड़े हुए हैं। आप दूरसंचार विभाग से संयुक्त निदेशक (रा.भा.) के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप कार्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी में कार्य करने, उनमें हिंदी के प्रति कार्य करने की जागरूकता पैदा करने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। आप विविध सरकारी संस्थानों की राजभाषा गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण में राजभाषा हिंदी गतिविधियों को राजभाषा नीति के अनुसार संपादित करने के लिए काफी समय से एक अनुभवी व मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अधिकारी की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस कार्यशाला में हम सभी को श्री विश्वकर्मा जी के अनुभव एवं मार्गदर्शन का भरपूर लाभ मिलेगा।

इसके पश्चात श्री विश्वकर्मा जी से “राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग” विषय पर मार्गदर्शन करने का आग्रह किया गया, जिससे कि सभी अधिकारी/कर्मचारी राजभाषा नियमानुसार कार्यालय में हिंदी में कामकाज कर सकें।

श्री विश्वकर्मा जी ने श्री यशवंत कुमार जैन, सदस्य सचिव का आभार व्यक्त करते हुए सभी उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों का परिचय प्राप्त किया। तत्पश्चात राजभाषा अधिनियम 1963 धारा 3(3) की अनिवार्यता, राजभाषा नियम 1976 का अनुपालन करने संबंधी नियमों से अवगत कराया। इसके साथ ही उन्होंने केन्द्रीय हिंदी समिति, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हिंदी सलाहकार समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा किए जाने वाले हिंदी कार्यों और उनकी महत्ता पर रोशनी डाली। इसके अलावा उन्होंने संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए जाने वाले राजभाषा निरीक्षणों से भी अवगत कराया।

उनके व्याख्यान से सभी को राजभाषा हिंदी में कार्य करने के संबंध में उपयोगी जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

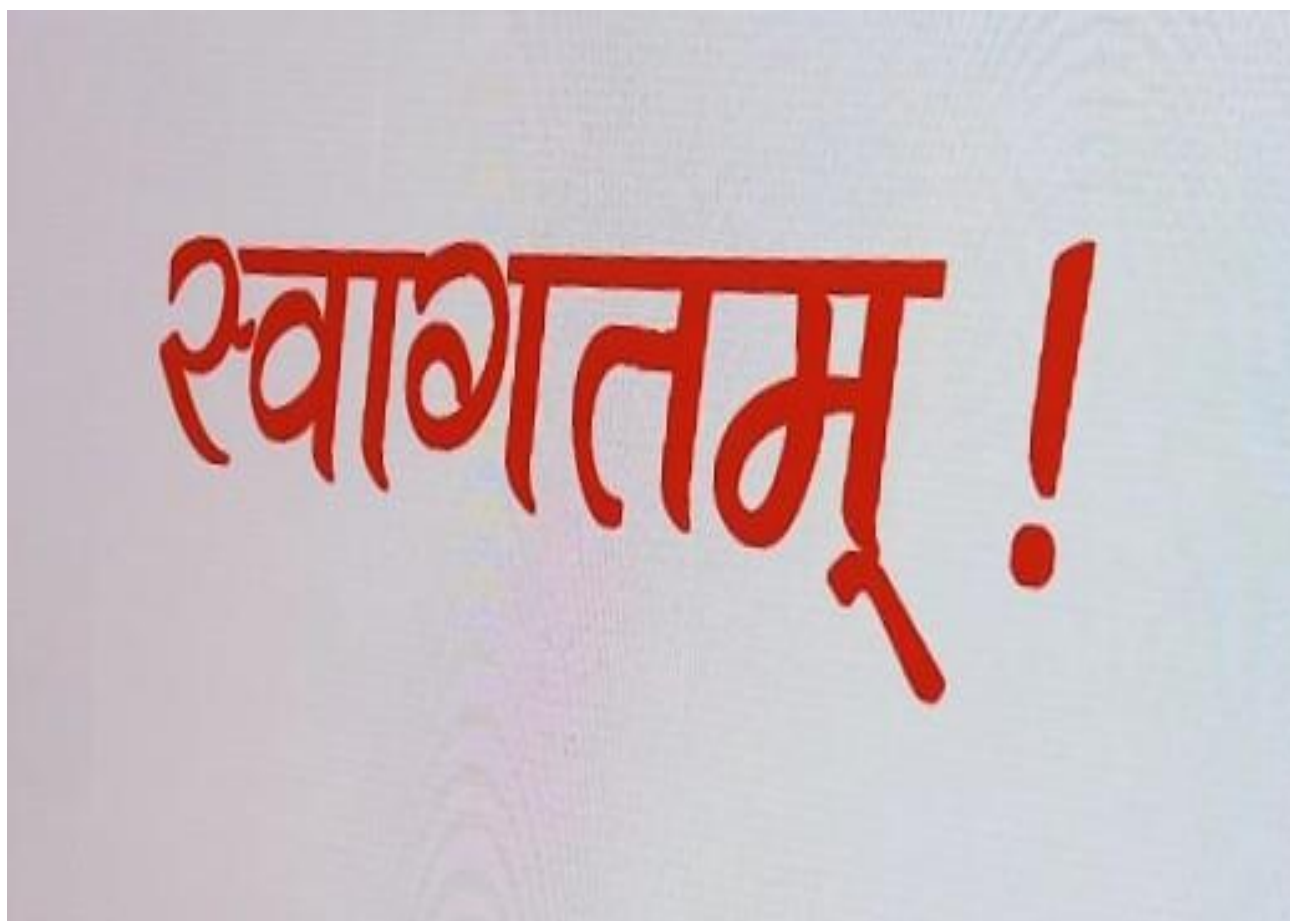
इसके पश्चात परामर्शी राजभाषा ने कार्यशाला में उपस्थित श्री संजीव गुप्ता जी, सदस्य (योजना एवं विकास) से हिन्दी के कामकाज को बढ़ाने के लिए अपने विचार रखने को कहा।

श्री संजीव गुप्ता जी ने कहा कि इस कार्यशाला में प्रतिभागियों की उपस्थिति को देखते हुए मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। आप सभी से अनुरोध है कि आप श्री विश्वकर्मा जी द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करके अपना सरकारी कामकाज अधिक से अधिक हिन्दी में करें और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का भरपूर लाभ उठाएं। इसके साथ ही उन्होंने सभी का धन्यवाद देते हुए श्री विश्वकर्मा जी का विशेष आभार व्यक्त किया।

अंत में, परामर्शी राजभाषा ने आदरणीय श्री संजीव गुप्ता जी, श्री विश्वकर्मा जी, श्री हरीश चंद्र राय, श्री यशवंत कुमार जैन का आभार व्यक्त किया और कहा कि आप सब ही अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं और हिंदी कार्यशाला को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इसी के साथ सभी का आभार व्यक्त करते हुए हिंदी कार्यशाला का समापन किया गया।

यशवंत कुमार जैन
अवर सचिव

दिनांक 12.08.2022 को आयोजित हिन्दी कार्यशाला में प्रतिभागियों की एक झलक



- हिंदी कार्यशाला में उपस्थित वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए।



सरकारी कामकाज हिंदी में क्योंकि

- संविधान के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है।
- संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है।
- संविधान के अनुसार संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रीय भाषाएं संबंधित राज्यों की राजभाषाएं हैं।

- प्रतिभागियों द्वारा काम काज में हिंदी को बढ़ावा देने के बारे में जानकारी हासिल करते हुए प्रतिभागी गण।





वर्तमान में संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल हैं

- | | | | |
|-------------|-------------|-----------|------------|
| 1. असमिया | 2. उड़िया | 3. उर्दू | 4. कन्नड़ |
| 5. कश्मीरी | 6. गुजराती | 7. तमिल | 8. तेलुगू |
| 9. पंजाबी | 10. बंगला | 11. मराठी | 12. मलयालम |
| 13. संस्कृत | 14. सिंधी | 15. हिंदी | 16. नेपाली |
| 17. कोंकणी | 18. मणिपुरी | 19. बोडो | 20. संथाली |
| 21. मैथिली | 22. डोगरी। | | |

- प्रतिभागियों द्वारा 22 भाषाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए।



संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा से संबंधित विभिन्न प्रावधान हैं

- संविधान के अनुच्छेद 343, खंड-3 के अनुसरण में संसद द्वारा बनाया गया राजभाषा अधिनियम 1963 (यथासंशोधित 1967) विद्यमान है।
- इस अधिनियम में कुल 9 धाराएं हैं।
- इनमें से मुख्य धारा 3(3) है।
- धारा 3(3) के अनुसार कुल 14 प्रकार की सामग्री को द्विभाषिक रूप में जारी किए जाने की अनिवार्यता है।

- व्याख्या द्वारा राजभाषा नियमों के बारे में मार्गदर्शन करते हुए प्रतिभागीगण।





राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत वर्णित कागजात	
General Orders	सामान्य आदेश
Resolutions	संकल्प
Notifications	अधिसूचनाएं
Administrative and other reports	प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्टें
Press Communiques	प्रेस विज्ञप्तियां
Official Documents	सरकारी कागज-पत्र
Contracts	संविदाएं
Agreements	करार
Licenses	अनुज्ञप्तियां
Permits	आज्ञापत्र
Tender Notice	निविदा / टेंडर सूचना
Tender Forms	निविदा फार्म
Rules	नियम
Administrative and other Reports to be laid before a house of Parliament	संसद के किसी सदन-पटल प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्टें

- राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में वर्णित कागजातों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए अधिकारी/कर्मचारी।



संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए विशेष निर्देशों के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा राजभाषा नियम 1976 बनाया गया है ।

राजभाषा नियम 2 के अंतर्गत हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने तथा इसका प्रसार सुनिश्चित करने के लिए देश को भाषा के आधार पर **षक**, **ख** तथा **ग** तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है :-

1. षकक्षेत्र:

बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र।

2. खक्षेत्र:

गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य और चंडीगढ़, दमन एवं दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।

3. गक्षेत्र:

उपरोक्त षक और ख में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र।

- 'क' 'ख' 'ग' क्षेत्रों में हिंदी ममें कार्य करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए पदाधिकारी।





हिंदी में सरकारी कामकाज

- क्या-क्या?

और

- कहां-कहां?

- हिंदी में सरकारी कामकाज करने की जानकारी प्राप्त करते हुए प्रतिभागियों की एक झलक।



टिप्पण (Noting)

1. लघु टिप्पणियां (Minor Notings) :

प्रायः आवतियों पर आख्या अथवा निदेशों/निर्देशों के रूप में।

2. बड़ी टिप्पणियां (Major Notings) :

फाइलों पर प्रस्ताव आदि के रूप में।

- श्री विश्वकर्मा जी व्याख्यान प्रारूपण अथवा मसौदा-लेखन के बारे में प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करते हुए।





प्राश्नपण-अथावा मसौदा-लेखन (Drafting)

1. सरकारी पत्र (Official Letters) :
2. अर्ध सरकारी पत्र (Demi official Letters):
3. कार्यालय ज्ञापन (Office memorandum):
4. पृष्ठांकन (Endorsement):

- प्रतिभागियों को हिंदी काम काज करने के लिए प्रेरित करते हुए श्री संजीव कुमार गुप्ता सदस्य (योजना एवं विकास)।

